केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण
सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क-bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :47 अंक 262 शुक्रवार 17 अप्रैल 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

2 रसगुल्ला खा लेने पर बच्चे को डीजल से जला दिया

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। 2 रसगुल्ला खा लेने से नाराज कैटरिंग ठेकेदार ने 11 साल के बच्चे को डीजल से जला दिया। बच्चे की चीख सुनकर लोग दौड़े और आग बुझाई। लेकिन तब तक वह चेहरे से लेकर कमर तक बुरी तरह झुलस चुका था। बच्चा अपनी नानी के साथ रिश्तेदार की शादी में शामिल होने पहुंचा था। बच्चे को गंभीर हालत में अयोध्या मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां से लखनऊ रेफर कर दिया गया। मामा की शिकायत पर पुलिस आरोपी कैटरिंग ठेकेदार की तलाश कर रही है। घटना छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत मलौली गोसाई गांव की है।

पीड़ित अमर उर्फ चमन मूलरूप से गोंडा में नवाबगंज थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव का रहने वाला है। उसके पिता संतोष विकलांग हैं। पत्नी सीमा देवी अयोध्या में झाड़ू-पोंछा और बर्तन धुलने का काम करती हैं। उनके दो बेटे हैं। छोटा बेटा अमन मां–पिता के साथ रहता है। जबकि चमन ननिहाल बस्ती के बाघानाला में रहता है। चमन कक्षा– 2 का छात्र है। बुधवार को वह अपनी नानी के साथ उनके भाई गरीबलाल की बेटी की शादी में शामिल होने मलौली गोसाई गांव गया था। रात 8 बजे जब शादी में खाने की व्यवस्था चल रही थी, तभी चमन अन्य बच्चों के साथ खेलते हुए हलवाइयों की तरफ चला गया। उसने वहां दो रसगुल्ले निकाल कर खा लिए। इस पर कैटरिंग ठेकेदार उस पर भड़क गया। आरोप है कि ठेकेदार ने चमन को पकड़ा और उसे डीजल से जला दिया। कुछ देर के बाद कैटरिंग के दूसरे कर्मचारी आए और बच्चे के मामा देवी प्रसाद से कहा– तुम्हारा बच्चा जल गया है, उसे अस्पताल लेकर जाओ। मामा देवी प्रसाद दौड़कर पहुंचे तो देखा चमन तंदूर के पास बुरी तरह झुलसा हुआ था।

फार्मर रजिस्ट्री में खराब प्रदर्शन करने वाले लेखपालों का वेतन रुका

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। जिलाधिकारी के निर्देशन में प्रदेश एग्रीस्टैक (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर) के अर्न्तगत किसानों का फार्मर रजिस्ट्री तैयार किये जाने हेतु 6 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 तक विशेष अभियान संचालित किया गया। उक्त जानकारी देते हुए मुख्य राजस्व अधिकारी कीर्ति प्रकाश भारती ने बताया कि तहसील बस्ती सदर, हर्रैया को प्रति दिवस 3500 एवं भानपुर व रुधौली को 1500 फार्मर रजिस्ट्री प्रति दिवस बनाये जाने का लक्ष्य दिया गया था।

समीक्षा के दौरान खराब प्रदर्शन करने वाले हर्रैया तहसील के 09 लेखपाल अवधेश यादव, सोनिका वर्मा, सुमित कुमार मौर्य, राहुल गोस्वामी, भोला पासी, राजेश भाष्कर, कौशलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव एवं अख्तर आलम का माह अप्रैल का अग्रिम आदेश तक तहसीलदार हर्रैया ने वेतन बाधित कर दिया है जबकि तहसील बस्ती सदर में 20 लेखपालों को नोटिस जारी किया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर रोस्टरवार कैम्प लगाया जा रहा है। मुख्य राजस्व अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी व जनपद के अन्य अधिकारी लगातार क्षेत्र में उपस्थित रहकर फार्मर रजिस्ट्री तैयार किये जा रहे कैम्प कर निरीक्षण किया गया, कैम्प से अनुपस्थित कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन से दक्षिण भारतीय राज्यों को कोई नुकसान नहीं

नई दिल्ली (आभा)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि परिसीमन प्रक्रिया में राज्यों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वे उत्तर, दक्षिण, बड़े या छोटे हों। परिसीमन विधेयक पर विस्तार से बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने संकेत दिया कि इस प्रक्रिया का विरोध करने वाले लोग केवल राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह आश्वासन दिया कि कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई अन्याय नहीं होगा। मोदी ने महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों पर चर्चा के लिए आयोजित संसद के विशेष सत्र के दौरान कहा कुछ लोग सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आश्वस्त करना चाहता हूं कि चाहे उत्तर हो या दक्षिण, इस प्रक्रिया में किसी तरह का भेदभाव या अन्याय नहीं होगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन से संबंधित तीनों विधेयकों पर चर्चा के दौरान स्पष्ट किया कि दक्षिण भारतीय राज्यों को इन बदलावों से कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही भ्रांतियों को खारिज करते हुए कहा कि यह एक बड़ा गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है। शाह ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि एक सबसे बड़ा नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, भ्रांति फैलाई जा रही है कि यह जो तीन विधेयक हैं, संविधान संशोधन विधेयक, परिसीमन और संघ क्षेत्र के चुनाव के कानून में बदलाव का कानून, इनके आने से लोकसभा में दक्षिण की क्षमता कम हो जाएगी और हमारे दक्षिण के राज्यों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। गृह मंत्री ने कर्नाटक का उदाहरण देते हुए जोर देकर कहा कि कर्नाटक राज्य में वर्तमान में 28 सीटें हैं। इस संविधान संशोधन के बाद कर्नाटक की सीटों की संख्या 28 से बढ़कर 42 हो जाएगी। कर्नाटक को जरा भी नुकसान नहीं होगा। शाह ने यह भी स्पष्ट किया कि परिसीमन प्रक्रिया के बाद सभी राज्यों की लोकसभा में प्रतिनिधित्व क्षमता बढ़ेगी और दक्षिण के राज्यों का अनुपात बरकरार रहेगा। सरकार का दावा है कि इन विधेयकों से किसी भी राज्य की मौजूदा ताकत कम नहीं होगी, बल्कि समग्र रूप से लोकसभा सीटों में वृद्धि के साथ संतुलन बना रहेगा।

लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पंचायतों और नगरपालिकाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार ने स्वर्गीय राजीव गांधी के नेतृत्व में सदन में पेश किया था। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि मैं इस विषय पर थोड़ा पृष्ठभूमि बताना चाहूंगी। क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बहुत कुछ कहा कि इसे किसने रोका, कैसे रोका गया और यह फैसला 30 साल तक कैसे अटका रहा। सत्ताधारी दल के मेरे सहयोगी शायद इसे पसंद न करें, लेकिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यह है कि इसे शुरू करने का श्रेय भी एक व्यक्ति को जाता है, जिनका नाम नेहरू है। लेकिन चिंता न करें, यह वह नेहरू नहीं हैं जिनसे आप इतना कतराते हैं। उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने वर्ष 1928 में एक रिपोर्ट तैयार की और उसे कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति के सामने पेश किया। इसमें उन्होंने 19 मौलिक अधिकारों की सूची दी थी। प्रियंका गांधी ने जोर देकर कहा कि संसद में महिला आरक्षण 2029 तक लागू करना चाहिए। इसे लागू करने के लिए सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए और इसके लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाना चाहिए।

अमेरिका ने फिर दिया ईरान को युद्ध की धमकी

वाशिंगटन (आभा)। अमेरिका ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर शांति समझौता ठुकराया गया तो हम फिर से युद्ध शुरू कर देंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान को मैसेज देते हुए कहा कि हमारी नजर आप पर है। उन्होंने कहा कि अमेरिका, ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी तब तक करेगा जब तक जरूरी होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तेहरान कोई समझौता नहीं करता है, तो फिर से हमले किए जाएंगे। हेगसेथ ने पेंटागन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर ईरान कोई गलत फैसला लेता है, तो उसे नाकेबंदी का सामना करना पड़ेगा और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली और ऊर्जा केंद्रों पर बम गिराए जाएंगे।

विकास प्राधिकरण की बैठक में गूंजा मानचित्र स्वीकृति का मुद्दा: सदस्य यशकान्त सिंह ने उठाये जमीनी सवाल

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। गुरूवार को मण्डलायुक्त कार्यालय में आयोजित बस्ती विकास प्राधिकरण की 16 वीं बोर्ड बैठक में शासन द्वारा नामित सदस्य के रूप में यशकांत सिंह द्वारा जनहित के मुद्दों को बिंदुवार उठाया गया। मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु आवश्यक सुझाव दिए गए। अमर सपूत महाराणा प्रताप चौक के सुंदरीकरण हेतु प्रस्ताव अध्यक्ष बस्ती विकास प्राधिकरण को दिया गया। उन्होंने कहा महाराणा प्रताप हम सभी के लिए वीरता, बलिदान, एवं देशभक्ति के आदर्श के रूप में हैं। उनके चौक का सुंदरीकरण पहली प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए। दूसरा प्रस्ताव, न्याय मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण। बस्ती विकास प्राधिकरण कार्यालय से लेकर फौवारा चौराहे से सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण और प्रकाश व्यवस्था।

बैठक में सदस्य यशकांत सिंह ने कहा कि प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य जनसुविधा बहाली का है। हमें यह ध्यान देना होगा कि प्राधिकरण की संरचना का मुख्य उद्देश्य बस्ती के विकास को गति देने एवं नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से हुई थी। हमें उस उद्देश्य को सदैव बनाए रखना है।

सीडीए एकेडमी की अंशिका बरनवाल बनी जिला टापर

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। सी.बी.एस.ई. के घोषित हाई स्कूल के परीक्षा परिणामों में सीडीए एकेडमी मथौली बनकटी के छात्र अंशिका बरनवाल ने 98.8: अंक प्राप्त कर जिला टॉप कर विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। विद्यालय के प्रबन्धक इं. अरविन्द पाल और प्रबंध निदेशिक डॉ. अरुणा सिंह पाल ने मेधावी छात्रों को मिठाई खिलाकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना किया। कहा कि सीडीए एकेडमी शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कीर्तिमान बना रहा है। इसका श्रेय शिक्षक और छात्रों को है जो पूरे मनोयोग से निरन्तर सफलता के नये आयाम गढ़ रहे हैं। इं. अरविन्द पाल, डॉ. अरुणा सिंह ने बताया कि इस सत्र में रोबोटिक लैब की स्थापना के साथ ही ए.आई.तकनीक की भी शिक्षा दी जायेगी।

कक्षा 10 वीं के अन्य होनहार छात्रों में दिव्यांश श्रीवास्तव 98.4 प्रतिशत, शिवांगी कसौधन 97.4 सिंह जुजा शुक्ला 97.2:, तेजस पटेल 93.8:, वैभव प्रजापति 93.6, सनी 92.6 अनूप शर्मा 92, हिमांशु गौतम 92:, आभाष पाण्डेय 91.4, लक्ष्मण 91 आदि ने शानदार प्रदर्शन किया। साथ ही विद्यालय की छात्रा अंशिका बरनवाल ने विज्ञान विषय में 100 में 100 अंक प्राप्त किए और वैभव प्रजापति एवं दिव्यांश श्रीवास्तव ने कंप्यूटर साइंस विषय में 100 में 100 अंक प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया।

इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षक संजय यादव , अरशद , पंकज दुबे, रेनू पाण्डेय, अमन गुप्ता, सौरभ पाण्डेय, सौरभ भट्ट श्याम सुंदर, राघवेन्द्र त्रिपाठी, रजनीश वरुण, अभिषा पाण्डेय, सचिन अग्रहरि, राम मोहन पाल, शैलेन्द्र श्रीवास्तव आदि ने छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुये उनका हौसला बढ़ाया।

–मेधावी छात्रों को इं. अरविन्द पाल, डॉ. अरुणा सिंह ने मिठाई खिलाकर बढाया हौसला

सेन्ट्रल एकेडमी में शत प्रतिशत रहा परीक्षाफल: मेधावी छात्रों का बढाया हौसला

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। सेन्ट्रल एकेडमी सीनियर सेकेण्डरी स्कूल सीबीएसई हाई स्कूल का परीक्षाफल शत प्रतिशत रहा। प्रबंधक जे.पी. तिवारी, प्रधानाचार्य दीपिका तिवारी, सहायक निदेशक अनुज तिवारी और शिक्षकों ने गुरुवार को सफल मेधावी छात्रों को मिठाई खिलाकर उनका उत्साह बढाया।

प्रधानाचार्य दीपिका तिवारी ने बताया कि हाई स्कूल के परीक्षा परिणामों में रेहान खान ने सर्वाधिक 97.6 प्रतिशत, अनन्या त्रिपाठी 95.6, नैय्यर सिद्दीकी 95, फुजैला अशफाक 90, शिवाकान्त चौरसिया 75.6, मानसी पासवान 75, रुशदा खातून 70, सरफराज अहमद 68, आदर्श गुप्ता 68 और रौनक वर्मा ने 65 प्रतिशत अंक प्राप्त कर स्कूल का गौरव बढ़ाया।

प्रबंधक जे.पी. तिवारी ने कहा कि शिक्षकों और छात्रों के प्रयास और एकेडमी के शैक्षणिक वातावरण का ही परिणाम है कि परीक्षाफल सदैव शत प्रतिशत रहता है। शिक्षा क्षेत्र में निरन्तर नवीनतम प्रयोग और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारा संकल्प है। बताया कि 60 प्रतिशत से ऊपर नम्बर पाने वाले बच्चों को विद्यालय द्वारा केवल रजिस्ट्रेशन शुल्क पर ही बिना प्रवेश शुल्क लिए प्रवेश दिया जा रहा है।

सफल छात्रों को मिठाई खिलाकर खुशियों को साझा करने वालों में मुख्य रूप से आबिद अरशद, द्विजेन्द्र मिश्र, प्रियंका त्रिपाठी, ए.के. मिश्र, रानी, शिखा, श्रेया, द्विवेदी, अंजली, सुधा गौड़, शम्स परवेज, अंजली, रूचि आदि ने छात्रों का उत्साहवर्धन किया।

सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप, अधिशासी अभियन्ता और उर्दू अनुवादक के खिलाफ शिकायत

–कुलदीप चौधरी–

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। जनपद के लघु सिंचाई विभाग में तैनात अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी बस्ती को एक लिखित शिकायत देकर जांच की मांग की गई है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अधिशासी अभियंता सुभाष चन्द्र द्वारा मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत कराए जा रहे कार्यों में क्षेत्रीय कर्मचारियों पर दबाव बनाकर करीब 50 प्रतिशत तक कमीशन लिया जा रहा है। विरोध करने वाले कर्मचारियों को कथित तौर पर विभागीय कार्रवाई और नौकरी से हटाने की धमकी दी जाती है।

वहीं, उर्दू अनुवादक जमाल अहमद पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि वह कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बनाकर फर्जी शिकायतों के जरिए कार्रवाई कराने की धमकी देते हैं, जिससे विभागीय माहौल प्रभावित हो रहा है।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि सरकार के निर्देशों के बावजूद किसानों को सीधे सामग्री खरीदने के बजाय कुछ चुनिंदा फर्मों से ही खरीद के लिए बाध्य किया जा रहा है। आरोप है कि इन फर्मों के माध्यम से कमीशनखोरी की जा रही है और किसानों के खातों में भेजी जाने वाली धनराशि का बंदरबांट हो रहा है।

साक्ष्य के तौर पर शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि सामग्री आपूर्ति करने वाली फर्मों के खातों में विभाग द्वारा भेजी गई धनराशि के बाद नकद निकासी के प्रमाण मौजूद हैं। साथ ही यह भी आरोप है कि किसानों के खातों में सीधे अनुदान न भेजकर नियमों की अनदेखी की जा रही है।इसके अतिरिक्त, उर्दू अनुवादक जमाल अहमद पर बिना कार्य किए वेतन लेने और अधिशासी अभियंता के प्रभाव के चलते विभाग में बर्चस्व बनाए रखने के आरोप भी लगाए गए हैं।

यह शिकायत बलिया निवासी शैलेश कुमार द्वारा जिलाधिकारी बस्ती के साथ–साथ शासन स्तर के अधिकारियों को भेजी गई है। शिकायत में बस्ती के साथ संतकबीरनगर और सिद्धार्थनगर जिले में हुए कथित भ्रष्टाचार भी शामिल है।

शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाता है।

शिक्षकों के प्रयास से समृद्ध हो रहे हैं परिषदीय विद्यालय–हरीश सिंह

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। गुरूवार को पी.एम. श्री संविलियन उच्च प्राथमिक विद्यालय देवमी बनकटी में वार्षिकोत्सव और राष्ट्रीय आय आधारित योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं के सम्मान समारोह का आयोजन विद्यालय के प्रधानाध्यापक राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक मोहम्मद इकबाल के संयोजन में किया गया ।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरीश सिंह प्रतिनिधि एमएलसी देवेन्द्र प्रताप सिंह रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में खंड विकास अधिकारी बनकटी भवानी प्रसाद शुक्ला रहे । कार्यक्रम की अध्यक्षता खण्ड शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार यादव ने किया । संचालन शिक्षक अतुल कृष्णराज ने किया।

मुख्य अतिथि हरीश सिंह ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों की स्थिति में निरन्तर सुधार हो रहा है। इसका पूरा श्रेय शिक्षकों को है जो निरन्तर शिक्षा में नवीन प्रयोग कर समृद्ध कर रहे हैं। कहा कि लोगों के सामूहिक प्रयास और सरकार के निरन्तर पहल से परिषदीय विद्यालय समय पर खरा उतर रहे हैं।

खण्ड विकास अधिकारी भवानी प्रसाद शुक्ल ने कहा कि परिषदीय शिक्षकों की भूमिका चुनौतीपूर्ण है। कहा कि शिक्षकों को अभिभावकों का भरोसा जीतना होगा।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे खंड शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार यादव ने आभार व्यक्त करते हुए संबोधित करते हुये छात्रों का उत्साहवर्धन किया।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से नवीन चौधरी, आदित्य त्रिपाठी, मंजेश राजभर, रवि प्रताप सिंह, अश्वनी वर्मा, अभिराम, उमराव, गिरजेश चौधरी, वंश राज गुप्ता, महेन्द्र पटेल, अभिषेक यादव, दान बहादुर यादव, अवध नारायण पटेल, मनोज उपाध्याय, मारुफ खान, गिरजेश उपाध्याय, धर्मेंद्र उपाध्याय, दुर्गेश राव, श्याम जी, चंद्रशेखर गुप्ता, ध्रुव नारायण दुबे, सौरभ तिवारी, महेंद्र सिंह, अवनीश चौरसिया, विजय सिंह, केशव प्रसाद चौधरी, दीपक चौरसिया, अजीत जायसवाल, गीता यादव, सुनीता सिंह, कृष्ण बिहारी पाण्डेय, शारदा प्रसाद चौबे, अमित सिंह, मोहम्मद हाशिम, दीपेंद्र पाल, राजेश सिंह के साथ ही अनेक शिक्षक, अभिभावक और स्थानीय नागरिक शामिल रहे।

–छात्रों को पुरस्कृत कर बढाया हौसला

ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई:सुरक्षा साइन बोर्ड लगाने का डीएम ने दिया निर्देश

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । जिलाधिकारी श्रीमती कृत्तिका ज्योत्स्ना की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क सुरक्षा एवं सीएम डैशबोर्ड के अन्तर्गत संचालित प्रमुख योजनाओं की प्रगति हेतु महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जनपद स्तरीय अधिकारियों ने अपने–अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में संबंधित अधिकारियों को जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जनपद के प्रमुख मार्गो एवं चौराहों पर सड़क सुरक्षा साइन बोर्ड पर्याप्त संख्या में लगाये जाय। ओवर लोड वाहनों के विरूद्ध सघन अभियान चलाकर कार्यवाही करने तथा रांग साइड ड्राइविंग पर पूर्णतया रोक लगाने के निर्देश दिये गये। उन्होने यह भी कहा कि नाबालिक द्वारा ई–रिक्शा का संचालन कदापि न होने पायें।

इसके उपरान्त सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा में जिलाधिकारी ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का विस्तृत आकलन किया। उन्होने पीएम सूर्यघर, पीएम कुसुम, मुख्यमंत्री आवास, सीएम उद्यमी, जननी सुरक्षा योजना, जलजीवन मिशन, फैमिली आई.डी., पर्यटन से संबंधित परियोजनाओं, सेतुओं का निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होने यह भी कहा कि सीएमआईएस पोर्टल पर आकड़ों को अद्यतन रखा जाय। निर्माण कार्यो की समीक्षा करते हुए उन्होने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्रअतिशीघ्र पूर्ण कराते हुए समयान्तर्गत संबंधित विभाग को हस्तगत किया जाय। ओटीडी सेल की समीक्षा करते हुए उन्होने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि डेटा रिपोर्टिंग का विशेष ध्यान रखा जाय। इसमें किसी प्रकार की लापवाही क्षम्य नही होंगी।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सार्थक अग्रवाल, एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान, सीएमओ डा. राजीव निगम, जिला विद्यालय निरीक्षक संजय सिंह, सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) सुरेश कुमार, यातायात निरीक्षक अवधेश तिवारी, जिला आबकारी अधिकारी राजेश कुमार, अधिशासी अभियन्ता पीडब्ल्यूडी संजीव कुमार, एआरएम आयुष भटनागर, जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेश कुमार, उपायुक्त उद्योग हरेन्द्र प्रताप, उप निदेशक कृषि अशोक कुमार गौतम, भूमि संरक्षण अधिकारी डा. राजमंगल चौधरी, जिला समाज कल्याण अधिकारीलालजी यादव, मत्स्य अधिकारी संदीप वर्मा, डीपीआरओ धनश्याम सागर, डीएसओ विमल शुक्ला, पर्यटन अधिकारी विकास नारायण, अधिशासी अभियन्ता जलनिगम योगेन्द्र प्रसाद, सड़क सुरक्षा समिति के प्रमोद ओझा सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहें।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 17 अप्रैल 2026 शुक्रवार

सम्पादकीय

महिला आरक्षण और राजनीति

16 अप्रैल से शुरू संसद सत्र में, केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने की कोशिश में है। लेकिन, एक व्यापक विधायी पैकेज – संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 और एक संबंधित परिसीमन विधेयक – के हिस्से के रूप में। इस कदम के पीछे का घोषित तर्क नारी शक्ति वंदन अधिनियम (2023 का 106वां संशोधन) को अमल में लाना है। यह अधिनियम लोकसभा और विधानसभा की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है, लेकिन इसे जनगणना के बाद के परिसीमन से जोड़ा गया था। सरकार द्वारा महिला आरक्षण को परिसीमन के साथ जोड़ने पर जोर देने से यह संकेत मिलता है कि महिला आरक्षण का इस्तेमाल परिसीमन के राजनीतिक आवरण के बतौर किया जा रहा हैरू लोकसभा के सीटों का व्यापक पुनर्वितरण संसद की संघीय संरचना को उन राज्यों के फायदे के हिसाब से नया आकार देगा जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को चुनावी वर्चस्व हासिल है और ऐसा उन राज्यों की कीमत पर किया जाएगा जहां यह पार्टी ऐतिहासिक रूप से कमजोर रही है।

जब भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की तरफ से कोई ठोस या तर्कसंगत स्पष्टीकरण दिए बिना भारत की दस वर्षीय जनगणना में पांच साल से अधिक की देरी की गई, तो इसके पीछे के राजनीतिक तर्क को समझना बहुत मुश्किल नहीं था। कोविड–19 का हवाला देते हुए 2021 की जनगणना को पहली बार स्थगित किया गया था। लेकिन इसके बाद हुए लगातार स्थगनों की कोई वजह नहीं बताई गई और फिर चुपके से यह एलान कर दिया गया कि इस कवायद को 2026–27 के दौरान अंजाम दिया जाएगा। संविधान के तहत, 1971 की जनगणना से जुड़े लोकसभा सीटों के अंतर–राज्यीय वितरण पर लगी रोक को साल 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशन के बाद ही खत्म होना था। इसका मतलब यह था कि सामान्य तौर पर, परिसीमन 2031 की जनगणना के आधार पर किया जाता। जनगणना को 2026–27 तक स्थगित करके, सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि परिसीमन की कवायद को 2031 में की जाने वाली जनगणना के बजाय 2026–27 की जनगणना का इस्तेमाल करके अपनी पसंदीदा समयसीमा पर शुरू किया जा सके।

अब शायद यह महसूस करते हुए कि 2026–27 की जनगणना के बाद परिसीमन की किसी भी प्रक्रिया को पूरा होने में ही सालों लगेंगे और इस तरह यह 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए भी तैयार नहीं हो पाएगी, सरकार पिछली पूर्ण जनगणना यानी 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बहुत ही ज्यादा हड़बड़ी में नजर आ रही है। दरअसल 131वां संशोधन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 55, 81, 82, 170, 330, 332 और 334ए में संशोधन का प्रस्ताव करता है। इस प्रावधान से कई बेहद महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। पहला, यह संशोधन लोकसभा की सदस्यता की अधिकतम सीमा को राज्यों से निर्वाचित सदस्यों की 530 की संख्या और केंद्र–शासित प्रदेशों से निर्वाचित सदस्यों की 20 की संख्या से बढ़ाकर क्रमशः 815 और 35 कर देगा। इससे सदन की संभावित सदस्य संख्या 850 हो जाएगी। दूसरा, यह "जनसंख्या" की मौजूदा संवैधानिक परिभाषा को बदल देगा। मौजूदा परिभाषा सीटों के आवंटन के लिए 1971 की जनगणना और सीमांकन के लिए 2001 की जनगणना को निर्दिष्ट करती है। इस परिभाषा को यह संशोधन एक खुले सूत्र से बदल देता है किरू जनसंख्या का अर्थ वह जनगणना होगी "जैसा संसद कानून द्वारा निर्धारित करे"। परिसीमन के वास्ते किस जनगणना का इस्तेमाल किया जाए, इसका चुनाव अब संविधान पर नहीं छोड़ा गया है। बल्कि यह उस सामान्य कानून पर निर्भर करेगा, जिसे साधारण बहुमत से बदला जा सकता है। तीसरा, यह अनुच्छेद 82 और 170 के तीसरे बंधन को पूरी तरह से हटा देगा। साल 1976 के 42वें संशोधन के बाद से लागू और 2001 के 84वें संशोधन द्वारा विस्तारित सीट आवंटन पर रोक ने अपनी जनसंख्या स्थिर कर चुकने वाले राज्यों को यह गारंटी दी थी कि उन्हें इसका खामियाजा संसदीय सीटें खोकर नहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब इस संरक्षण को हटा दिया गया है।

गृह मंत्री अमित शाह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों ने देश को यह आश्वासन दिया था कि प्रत्येक राज्य के पास मौजूद सीटों के मौजूदा अनुपात को एकसमान वृद्धि के जरिए बरकरार रखा जाएगा। लेकिन इस आश्वासन को प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन में कोई जगह नहीं दी गई है। अनुच्छेद 81(2)(ए), जिसे अपरिवर्तित रखा गया है, यह अनिवार्य करता है कि सीटों और जनसंख्या के बीच का अनुपात सभी राज्यों के लिए "जहां तक संभव हो" समान होगा, जो कि जनसंख्या–आनुपातिकता संबंधी आवश्यकता है और मौजूदा अनुपातों को संरक्षित नहीं करता है।

साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर, 850 सीटों वाले सदन में विशुद्ध रूप से जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन करने से विभिन्न क्षेत्रों में सीटों की संख्या के संदर्भ में घोर असमानता उपजेगी। हिंदी भाषी राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और दिल्ली), जिनके पास वर्तमान में 543 सीटों में से 207 सीटें हैं, को 366 सीटें मिलेंगी – जो 77 फीसदी की बढ़ोतरी है और उनकी हिस्सेदारी 38.1 फीसदी से बढ़कर 43.1 फीसदी हो जाएगी। दक्षिणी राज्यों (तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और पुडुचेरी), जिनके पास अभी 132 सीटें हैं, को केवल 176 सीटें मिलेंगी, जो 33 फीसदी की बढ़ोतरी है, जबकि उनकी हिस्सेदारी 24.3 फीसदी से घटकर 20.7 फीसदी ही रह जाएगी। पूर्वी राज्यों में यह हिस्सेदारी 14.4 फीसदी से घटकर 13.7 फीसदी पर आ जाएगीय पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह हिस्सेदारी 4.4 फीसदी से लुढ़कर 3.8 फीसदी ही रह जाएगी। पश्चिमी और उत्तरी गैर–हिंदीभाषी राज्यों में स्थिति कमोबेश अपरिवर्तित ही रहेगी। जिन राज्यों ने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, शिक्षा तक पहुंच और महिलाओं की सशक्तिकरण को मजबूत करने में दशकों बिताए और जिससे प्रजनन दर में कमी आई, अब उनकी लोकतांत्रिक ताकत में कमी आने की आशंका है। जबकि, इन संकेतकों में पिछड़ने वाले राज्यों को सबसे ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। पहले से ही कमजोर राजकोषीय संघवाद अब सामाजिक–आर्थिक रूप से उन्नत राज्यों के घटे हुए राजनीतिक प्रतिनिधित्व से और भी ज्यादा प्रभावित होगा। दो महत्वपूर्ण राज्यों में मतदान से कुछ ही दिन पहले और सार्वजनिक बहस के लिए कोई समय दिए बिना, इस विधेयक को जल्दबाजी में पारित कराया जा रहा है। इससे इसके लाए जाने के समय को लेकर आशंकाएं और भी गहरी हो जाती हैं। जैसा कि विपक्ष 106वें संशोधन के पारित होने के बाद से ही आग्रह करता रहा है, मौजूदा 543 सीटों वाली लोकसभा में महिलाओं के लिए बारी–बारी से निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित करके महिला आरक्षण को लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व खोने की आशंका वाले राज्यों के सांसदों को इस विधेयक को जबरदस्ती पारित करने का विरोध करना चाहिए, क्योंकि यह भारतीय संघ के संघीय बुनियाद पर चोट करता है। इस संशोधन को पारित होने देने के कल्पना से परे गंभीर नतीजे होंगे।

बिहार में नीतीश के बाद सम्राट की सत्ता

—ललित गर्ग—

बिहार की राजनीति लंबे समय से बदलाव, प्रयोग और नेतृत्व के उतार–चढ़ाव का साक्षी रही है। ऐसे परिदृश्य में जब लंबे इंतजार और जटिल कूटनीतिक समीकरणों के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में शासन स्थापित होने की स्थिति बनती है और सम्राट चौधरी जैसे नेता मुख्यमंत्री के रूप में उभरते हैं, तो यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि एक संभावित राजनीतिक और प्रशासनिक परिवर्तन का संकेत भी है। यह क्षण बिहार के लिए एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है, जहां अपेक्षाएं केवल शासन परिवर्तन की नहीं, बल्कि शासन की गुणवत्ता, दृष्टि और परिणामों की भी हैं। नये मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी के सामने न सिर्फ बिहार की जनता में एक कुशल प्रशासक की छाप छोड़ने की चुनौती है, बल्कि पार्टी की अपेक्षाओं एवं नीतीश कुमार द्वारा खींची रेखाओं से आगे निकलने के संघर्ष में भी उन्हें खरा उतरना होगा। सम्राट को उससे आगे ऐसा कुछ करना होगा, ताकि भाजपा उसके आधार पर भविष्य की दावेदारी पेश कर सके एवं अपने बल पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की पात्रता विकसित कर सके। बिहार में भाजपा का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, सम्राट के भरोसे से।

सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री के रूप में चयन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। वे कोई अप्रत्याशित या अपरिचित चेहरा नहीं हैं। बिहार की राजनीति में सक्रिय रहते हुए, उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए और विभिन्न राजनीतिक धाराओं से गुजरते हुए उन्होंने राज्य की जटिलताओं को निकट से समझा है। उनकी राजनीतिक यात्रा उन्हें एक व्यावहारिक नेता के रूप में स्थापित करती है, जो केवल सिद्धांतों तक सीमित नहीं, बल्कि जमीन की वास्तविकताओं से भी जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि उनके नेतृत्व से बिहार की जनता को एक ऐसे प्रशासन की उम्मीद है जो नीतिगत स्पष्टता के साथ–साथ क्रियान्वयन की क्षमता भी रखता हो। किन्तु यह भी उतना ही सत्य है कि बिहार में नेतृत्व का मूल्यांकन केवल व्यक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी नीतियों, प्राथमिकताओं और परिणामों के आधार पर होता है। पिछले वर्षों में यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से सामने आई है कि शासन की सफलता का निर्धारण केवल मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व से नहीं, बल्कि उस व्यापक नीति–ढांचे से होता है जो केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करता है। भारतीय राजनीति में यह एक नया आयाम है, जहां केंद्र सरकार की नीतियां राज्यों के विकास की दिशा को काफी हद तक प्रभावित करती हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों के उदाहरण इस बात को पुष्ट करते हैं कि अपेक्षाकृत कम चर्चित चेहरों के बावजूद विकास की गति तेज रह सकती है, यदि नीतिगत समर्थन और प्रशासनिक इच्छाशक्ति मजबूत हो।

बिहार के संदर्भ में यह पहलू और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह राज्य लंबे समय तक अवसंरचनात्मक पिछड़ेपन, बेरोजगारी, पलायन और सामाजिक विषमताओं से जूझता रहा है। ऐसे में सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वे इन जटिल समस्याओं के समाधान के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करें। केवल राजनीतिक स्थिरता पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि उसे विकासात्मक स्थिरता में परिवर्तित करना होगा। सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत क्षेत्रों में निरंतर सुधार के साथ–साथ रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना होगा, ताकि बिहार के युवाओं को अपने ही राज्य में अवसर मिल सकें। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि बिहार के हालिया इतिहास में यदि किसी नेता ने प्रशासनिक सुधार और सुशासन की एक स्पष्ट छवि प्रस्तुत की है, तो वह नीतीश कुमार हैं। उन्होंने जिस समय सत्ता संभाली, उस समय बिहार 'जंगलराज' की छवि से जूझ रहा था। कानून–व्यवस्था की स्थिति दयनीय थी, अवसंरचना लगभग ध्वस्त थी और राज्य की छवि राष्ट्रीय स्तर पर नकारात्मक थी। ऐसे समय में नीतीश कुमार ने सड़क, बिजली और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किए। विशेष रुप से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए साइकिल योजना जैसी पहलें सामाजिक परिवर्तन का आधार बनीं। उन्होंने प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ाने का प्रयास किया, जिससे शासन के प्रति जनता का विश्वास पुनः स्थापित हुआ।

नीतीश कुमार का व्यक्तित्व एक संतुलित, संयमित और व्यावहारिक नेता के रूप में उभरता है। वे आक्रामक राजनीति के बजाय संवाद और सहमति की राजनीति के पक्षधर रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उन्होंने राजनीति को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर उठाकर विकास के एजेंडे से जोड़ने का प्रयास किया। हालांकि समय के साथ उनकी राजनीतिक रणनीतियों और गठबंधनों में बदलाव ने उनकी छवि को कुछ हद तक प्रभावित भी किया, लेकिन उनके द्वारा स्थापित प्रशासनिक मानक आज भी बिहार के लिए एक संदर्भ बिंदु बने हुए हैं। सम्राट चौधरी के लिए यह एक बड़ी चुनौती और अवसर दोनों है कि वे इन स्थापित मानकों को न केवल बनाए रखें, बल्कि उन्हें और आगे बढ़ाएं। उन्हें यह समझना होगा कि बिहार की जनता अब केवल वादों से संतुष्ट नहीं होती, बल्कि परिणाम चाहती है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी भी सुधार की व्यापक संभावनाएं हैं। सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता, उच्च शिक्षा के अवसर, अस्पतालों की स्थिति और चिकित्सकीय सुविधाओं का विस्तार ऐसे क्षेत्र हैं जहां ठोस कार्य की आवश्यकता है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है जो किसी भी विकासात्मक प्रयास को कमजोर कर सकती है। यदि सम्राट चौधरी वास्तव में एक प्रभावी और जनोन्मुखी शासन स्थापित करना चाहते हैं, तो उन्हें प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचारमुक्त शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। डिजिटल गवर्नेंस, ई–टेंडरिंग और निगरानी तंत्र को सशक्त बनाकर इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं।

महिला सशक्तिकरण भी बिहार के विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम है। पिछले वर्षों में इस दिशा में कुछ सकारात्मक पहलें हुई हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है। यदि सम्राट चौधरी इस क्षेत्र में ठोस और नवाचारी कदम उठाते हैं, तो यह बिहार की प्रगति को एक नई दिशा दे सकता है। पलायन की समस्या भी बिहार के लिए एक स्थायी चुनौती रही है। लाखों लोग रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में जाते हैं, जिससे न केवल राज्य की श्रमशक्ति का क्षरण होता है, बल्कि सामाजिक संरचना पर भी प्रभाव पड़ता है। इस समस्या का समाधान केवल उद्योगों के विकास और स्थानीय रोजगार के अवसरों के सृजन से ही संभव है। कृषि आधारित उद्योग, लघु और मध्यम उद्योग तथा स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देकर इस दिशा में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है।

निश्चिततौर पर यह कहा जा सकता है कि बिहार आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां अतीत के अनुभव, वर्तमान की अपेक्षाएं और भविष्य की संभावनाएं एक साथ उपस्थित हैं। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में यह राज्य किस दिशा में आगे बढ़ेगा, यह उनके निर्णयों, नीतियों और कार्यशैली पर निर्भर करेगा। यदि वे नीतीश कुमार द्वारा स्थापित सुशासन के मानकों को आधार बनाते हुए नवाचार और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं, तो बिहार न केवल अपने पुराने कलंक से पूरी तरह मुक्त हो सकता है, बल्कि एक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में भी उभर सकता है। यह समय केवल नेतृत्व परिवर्तन का नहीं, बल्कि सोच और दृष्टिकोण के परिवर्तन का है। बिहार की जनता अब जागरूक है, अपेक्षाएं स्पष्ट हैं और अवसर भी व्यापक हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी के लिए यह आवश्यक है कि वे व्यक्ति–आधारित राजनीति से ऊपर उठकर नीतियों और परिणामों पर केंद्रित शासन प्रस्तुत करें। यदि वे ऐसा कर पाते हैं, तो न केवल वे अपने नेतृत्व को सिद्ध करेंगे, बल्कि बिहार को एक नई पहचान भी देंगे–एक ऐसे राज्य के रूप में जो संघर्ष से उबरकर सफलता की नई गाथा लिखने में सक्षम है।

इस्लामाबाद वार्ता की विफलता के निहितार्थ

—एसएस मेहता—

पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से होर्मुज गतिरोध की बात करें तो दुनिया के संकरे द्वारों में निरंतर आवाजाही ही स्थिरता प्रदान कर सकती है। आपूर्ति शृंखलाएं, वित्तीय प्रणालियां और डिजिटल नेटवर्क वैश्विक प्रणाली की जीवन रेखाएं हैं। राजनीति इस प्रवाह की संरक्षक बननी चाहिये। लेकिन इस्लामाबाद वार्ता में यह मिसाल कायम नहीं हो सकी। आधुनिक दुनिया बात तो करती है शांति की, लेकिन व्यवहार करती है व्यवधान की मशीनरी के जरिए। युद्ध अब केवल सीमाओं या खंदकों तक सीमित नहीं आपूर्ति शृंखलाएं बाधित होती हैं, वित्तीय प्रणालियां थरथराती हैं और डिजिटल नेटवर्क एवं समुद्री मार्ग रुकते हैं। प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र हमारे अस्तित्व के हर पहलू तक फैल चुका है, लेकिन शासकीय सिद्धांत अभी भी 17वीं सदी के 'वेस्टफेलियन संप्रभुता' के तर्क में अटके हैं। हम बाड़ लगाने के औजारों से बाढ़ नियंत्रण में लगे हैं।

मूल अंतर्दृष्टि रू निरंतरता के रूप में स्थिरता– इतिहास एक शांत सत्य उजागर करता है रू स्थिरता निरंतर आदान–प्रदान होते रहने से बनती है, न कि प्रतिद्वंद्विता के अभाव से। मार्ग मुक्त रहें और आवाजाही सुरक्षित रहे, तो दुनिया समृद्ध होती है। जब ये प्रवाह थम जाए, तो पतन होता है। स्थिरता प्रवाह संग चलती है। यह हमारा गंतव्य न होकर वह गति है जिसे बनाए रखना होता है– जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की शिनाख्त की थी, न कि आविष्कार। हमारे समय के व्यवधान एक अंतर्निहित नियम उजागर करते हैं रू स्थिरता प्रवाह की निरंतरता के पीछे–पीछे आती है। यह तर्क कोई नया नहीं। भौतिकी इसे काफी पहले कायम कर चुकी है। प्रवाह को प्रतिरोध द्वारा संरक्षित किया व बनाया जाता है,और अंतर से प्रवाह काम करता है। एकदम बांध दें, तो दबाव कहीं और बन जाएगा। तोड़ दें, तो तबाही मच जाएगी। ग्लोबल सिस्टम का व्यवहार भी इससे अलग नहीं।

इस्लामाबाद वार्ता रू मिसाल कायम करने का मौका गंवाया– इस्लामाबाद में बहुत बड़े दांवों वाली वार्ता में, मिसाल कायम करने का अवसर गंवा डाला। सप्ताहों तक बढ़ती गई तनातनी के बाद दोनों पक्ष मिले। अपनी–अपनी स्थिति का बचाव करते रहे, इतिहास का हवाला दिया, और रेड लाइंस खिंची। लेकिन वे खाली हाथ लौटे। जो कुछ हुआ, वह कोई वार्ता नहीं रहीय यहां एक मिसाल कायम करने का मौका गंवा दिया। दोनों पक्षों को आगे बढ़ने के लिए जिस चीज की सर्वाधिक जरूरत थी, उनमें से कुछ भी सामने नहीं रखा। वार्ताकार आगे की राह टटोलने की बजाय अपनी–अपनी स्थितियां न्यायोचित ठहराने तक सीमित रहे। वे विरोधी के रूप में मिले। चाहते तो 'प्रवाह के संरक्षक' के रूप में लौट सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं किया। जब गौरव या जमीन के मुद्दे पर बातचीत हो, तो हम वहीं अटक जाते हैं। जब अस्तित्व की साझा जीवन–रेखाओं पर बात करेंगे, तो आगे बढ़ेंगे।

क्षैतिज गुरुत्वाकर्षण रू नया स्थिरांक– अब हम किसी के सिंहासन के आकार या सीमा बहुत दूर होने से अधिक प्रभावित नहीं। नया स्थिरांक है आपसी निर्भरता अदृश्य खिंचाव, जो ऊर्जा मार्ग, डेटा नेटवर्क और वित्तीय प्रणालियों को एकीकृत कार्यशील हकीकत में बांधता है। लंबवत ऊंचाई के लिए जैसे गुरुत्वाकर्षण काम करता है, वही काम क्षैतिज दिशा में प्रवाह का है। यह आम सहमति का इंतजार नहीं करता, न ही किसी आचार–संहिता से चालित हैयह तो बाध्यकारी है। पारस्परिक निर्भरता को हम नहीं चुनतेय बल्कि इसी संग जन्म लेते हैं। आधुनिक राष्ट्र के लिए प्रवाह को नकारना ऑक्सीजन को नकारने जैसा है।

प्रवाह का सिद्धांत – प्रकृति का प्रथम नियम– प्रवाह प्रकृति का प्रथम नियम हैरू निरंतरता से ही स्थिरता बनी रहती हैय इसमें आया व्यवधान प्रणालियों को पुनः अराजकता की ओर धकेल देता है। अगले दशकों में जीवित रहने के दायित्व का तालमेल निर्भरता से बैठाना होगा। जरूरी प्रवाह रुके नहीं।

खुले मार्गों से साझा नियमों तक – समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने यह स्वीकार किया कि गहरे समुद्र जैसे कुछ क्षेत्र खुले रहने चाहिए। इस प्रावधान ने पहुंच संरक्षित रखीय लेकिन निरंतरता सुनिश्चित नहीं की। प्रवाह का नियम इसमें अनिवार्य सुधार होना चाहिए। तब यह पहुंच को दायित्व में बदल देगारू परस्पर जुड़ी दुनिया में, मार्ग न केवल खुले, बल्कि कार्यात्मक भी रहें। अहम मार्गों का प्रवाह रोकने से फायदा नहीं होताय यह तो प्रणालीगत जोखिम है। यदि यह सिद्धांत इस्लामाबाद में हुई चर्चा में रखा होता, तो वार्ता अपनी–अपनी स्थिति का बचाव करने से हटकर मार्गों पर स्थिति की ओर मुड़ जाती व मिसाल कायम होती– समझौते के लिए नहीं, निरंतरता के लिए।

साझापन में विस्तार रू साझापन की जरूरतें बदल चुकी हैं। वे अब केवल महासागर व वायुमंडल तक सीमित नहीं व उनमें अब ऊर्जा गलियारा, व्यापारिक जलमार्ग और इंटरनेट की फाइबर–ऑप्टिक शामिल हैं। ये संपत्तियां न होकर जीवित रखने योग्य जीवन–रेखाएं हैं। इन पर किसी का एकाधिकार नहीं हो, इनकी देखभाल हो।

डिजिटल प्रदूषण का बढता खतरा

—डॉ. सुधीर कुमार—

डिजिटल प्रदूषण का एक बहुत बड़ा हिस्सा 'अभौतिक' है। इंटरनेट पर हमारा हर क्लिक, सर्च और क्लाउड स्टोरेज बिजली की भारी खपत करता है, जो अधिकांशतः जीवाश्म ईंधन से आती है और कार्बन उत्सर्जन बढ़ाती है।

जब हम 'प्रदूषण' शब्द सुनते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में जहरीला धुआं उगलती विमनियां, प्लास्टिक से पटी नदियां या सड़कों पर लगा कचरे का ढेर उभरता है। ये प्रदूषण के वे रूप हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। लेकिन इक्कीसवीं सदी की डिजिटल क्रांति के साथ एक ऐसा अदृश्य जहर हमारे वातावरण और जीवन में घुल चुका है, जिसे हम देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, लेकिन वह धीरे–धीरे हमारे पर्यावरण और मानसिक स्वास्थ्य को खोखला कर रहा है। इसे हम 'डिजिटल प्रदूषण' कहते हैं। भारत जैसे देश में, जहां डिजिटल साक्षरता और कनेक्टिविटी चरम पर है और 'डिजिटल इंडिया' का सपना साकार हो रहा है, इस अदृश्य खतरे पर कानून, नीति और जनजागरूकता के नजरिये से चर्चा करना अनिवार्य हो गया है।

लोग डिजिटल प्रदूषण को केवल 'ई–वेस्ट' यानी पुराने मोबाइल, टूटे लैपटॉप या खराब चार्जर तक सीमित मान लेते हैं। बेशक, ई–कचरा एक वैश्विक समस्या है, लेकिन डिजिटल प्रदूषण का एक बहुत बड़ा हिस्सा 'अभौतिक' है। इंटरनेट पर हमारा हर क्लिक, सर्च और क्लाउड स्टोरेज बिजली की भारी खपत करता है, जो अधिकांशतः जीवाश्म ईंधन से आती है और कार्बन उत्सर्जन बढ़ाती है। जब हम डेटा इस्तेमाल करते हैं, तो हजारों मील दूर स्थित विशाल डेटा सेंटर्स सक्रिय हो जाते हैं, जिन्हें चलाने और ठंडा रखने के लिए अत्यधिक ऊर्जा और पानी की आवश्यकता होती है। अतः, डिजिटल गतिविधियों का सीधा और गहरा प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ता है।

डिजिटल प्रदूषण के दो सबसे घातक पहलू 'डार्क डेटा' और 'डिजिटल फुटप्रिंट' हैं। 'डार्क डेटा' वह अनुपयोगी डेटा है जो कंपनियां और व्यक्तियों द्वारा केवल स्टोर किया जाता है, जिसका दुनिया भर के कॉर्पोरेट डेटा में हिस्सा लगभग 52 प्रतिशत है। यह डेटा केंद्रों में व्यर्थ ऊर्जा की खपत करता है। वहीं, हमारा 'डिजिटल फुटप्रिंट' भी उतना ही खतरनाक हैय एक स्पैम ईमेल अपने पूरे जीवनचक्र में लगभग 0.3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने का जिम्मेदार है। यदि हम दुनियाभर में प्रतिदिन भेजे जाने वाले अरबों स्पैम और अनावश्यक ईमेल की गणना करें, तो यह प्रदूषण का स्तर वैश्विक विमानन उद्योग द्वारा फैलाए जाने वाले कुल उत्सर्जन के बराबर पहुंच जाता है। यह तथ्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी एक छोटी–सी डिजिटल लापरवाही धरती के तापमान को बढ़ाने में कितनी बड़ी भूमिका निभा रही है।

भारत में 'डिजिटल प्रदूषण' को सीधे तौर पर परिभाषित करने वाला कोई विशिष्ट या एकल कानून मौजूद नहीं है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) और समय–समय पर संशोधित ई–कचरा प्रबंधन नियम (2016ध 2022) इसके केवल भौतिक हिस्से (हार्डवेयर कचरे) को कवर करते हैं। असली चुनौती डेटा केंद्रों से होने वाले ऊर्जा उत्सर्जन और 'डिजिटल हाइजीन' की है, जिसके लिए वर्तमान में स्पष्ट कानूनी दिशानिर्देशों की कमी खलती है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार 'स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार' को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया है। यद्यपि ये मामले पारंपरिक औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित थे, लेकिन इनमें स्थापित 'प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करेगा' और 'एहतियाती सिद्धांत' का दर्शन डिजिटल दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों पर भी समान रूप से लागू होना चाहिए। जो कंपनियां विशाल डेटा सेंटर चलाती हैं और करोड़ों भारतीयों का डेटा प्रोसेस करती हैं, वे डेटा की सुरक्षा के साथ–साथ अपनी पर्यावरणीय जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकतीं।

'भारत सरकार द्वारा 'राइट टू रिपेयर' पोर्टल का शुभारंभ एक क्रांतिकारी पहल है। कानूनी और नीतिगत रूप से यह उपभोक्ताओं को सशक्त बनाता है कि वे अपने गैजेट्स को कंपनियों के एकाधिकार से बाहर निकलकर ठीक करा सकें। यह पहल न केवल कंपनियों की 'प्लांड ऑब्सेसलेंस' (गैजेट्स को जानबूझकर ऐसा बनाना कि वे जल्दी खराब हो जाएं) की नीति पर लगाम लगाएगी, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कम करने में भी मील का पत्थर साबित होगी। जब कोई उपकरण लंबा चलेगा, तो उसके निर्माण में लगने वाली ऊर्जा और उसके कचरे से होने वाले प्रदूषण में स्वतः कमी आएगी।'

केवल कानून और अदालती आदेश डिजिटल प्रदूषण का पूर्ण समाधान नहीं हैंय इसके लिए 'डिजिटल स्वच्छता' को जीवनशैली बनाना अनिवार्य है। शुरुआत इनबॉक्स की सफाई. अनावश्यक न्यूजलेटर्स को अनसब्सक्राइब करने और क्लाउड स्टोरेज से धुंधली तस्वीरों व पुराने बैकअप को हटाकर की जा सकती है। इसके साथ ही, वीडियो स्ट्रीमिंग के दौरान 'अति–उच्च परिभाषा' के बजाय सामान्य स्पष्टता का चुनाव करना डेटा केंद्रों पर दबाव और बिजली की खपत को कम करता है।

भाजपा महिला मोर्चा ने निकाली स्कूटी रैलीः 33 प्रतिशत आरक्षण पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जताया आभार

संवाददाता–गोण्डा। 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पारित होने के उपलक्ष्य में आज भाजपा महिला मोर्चा ने एक स्कूटी रैली निकाली। यह रैली महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण और लोकतंत्र में उनकी बढ़ती भूमिका का संदेश देने के लिए आयोजित की गई थी।

सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने हेलमेट पहनकर और हाथों में तिरंगा व पार्टी के ध्वज लेकर अंबेडकर चौराहा से रैली शुरू की। इस दौरान 'भारत माता की जय' और इनारी शक्ति वंदनम के नारे गूंजते रहे। रैली अंबेडकर चौराहा से गुरु नानक चौराहा होते हुए गांधी पार्क पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। यह रैली दशकों से 33 प्रतिशत महिला आरक्षण के सपने के साकार होने का जश्न मनाने के लिए आयोजित की गई थी। कार्यकर्ताओं का उत्साह यह दर्शाता था कि यह अधिनियम अब केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का नया मार्ग प्रशस्त कर रहा है।

इस आयोजन में लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय की उपाध्यक्ष वर्षा सिंह, गोंडा महिला भाजपा मोर्चा की जिलाध्यक्ष बीना राय, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा रत्ना वर्मा और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष व रैली संयोजक प्रिंस चौरसिया सहित कई प्रमुख नेताओं और महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया है। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की आधी आबादी को उनका वास्तविक हक मिला है। उन्होंने जोर दिया कि अब पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं की आवाज और भी बुलंद होगी। रैली का समापन एक जनसभा के रूप में हुआ, जहां महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने इस अधिनियम के लाभ को जन–जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। स्थानीय नागरिकों ने भी पुष्प वर्षा कर इन महिलाओं का स्वागत किया। गोंडा की सड़कों पर दिखी यह नारी शक्ति इस बात का प्रमाण है कि आने वाले समय में जिले की राजनीति और विकास की रूपरेखा तैयार करने में महिलाओं का योगदान निर्णायक होगा।

बेदखली सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फखरुद्दीन उर्फ मुन्ना आयु लगभग 62 साल पुत्र अमीरुद्दीन निवासी 6/2/242 निकट शादी मस्जिद मुगलपुरा फैजाबाद जनपद अयोध्या का स्थायी निवासी है। मैने अपने पुत्र शमसुद्दीन जिसकी उम्र लगभग 38 वर्ष है सन् 2020 से ही अपनी चल व अचल संपत्ति से उसके खराब चाल–चलन की वजह से बेदखल कर दिया था जिसके बाबत लिखापढ़ी व पेपर गजट करा रहा हूं। मेरे पुत्र शमसुद्दीन का चाल–चलन परिवार व समाज के प्रति सही नहीं है। वह परिवार का कहना नहीं मानता है अपने मन का कार्य करता है पूरा परिवार उसके कार्य व व्यवहार से पूरी तरह से परेशान है। उसके किसी नैतिक व अनैतिक कार्य से मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। अपने किसी भी कृत्य के लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

कार्यालय ग्राम पंचायत मंझरिया वि.खं. कुदरहा, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **मंझरिया** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, गिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बैच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुड़े सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, टेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **मंझरिया** के निविदा बाक्स में दिनांक 17–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 17–04–2026 से दिनांक 17–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **मंझरिया** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **मंझरिया** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **मंझरिया** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सटिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रूo है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(सरिता देवी) प्रधान ग्राम पंचायत–**मंझरिया**

(घनश्याम यादव) सचिव ग्राम पंचायत–**मंझरिया**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 16.04.2026

महिला पर युवक ने किया कुदाल से हमला दो पट्टीदारों के बीच विवाद में हत्या

संवाददाता–देवरिया। जिले के महुआडीह क्षेत्र के रामपुर बनहर गांव में बुधवार देर रात पट्टीदारों के बीच कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। विवाद के दौरान एक पक्ष के युवक ने कुदाल से प्रहार कर एक महिला की हत्या कर दिया। घटना की जानकारी होने पर पूरे गांव में हड़कंप मंच गया। पुलिस को भी विवाद के बाद महिला की हत्या की जानकारी दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस मुस्तैद है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार महुआडीह थाना क्षेत्र के रामपुर बनहर गांव में निवासी दिनेश विश्वकर्मा और उमेश विश्वकर्मा दोनों पट्टीदार है। बुधवार की देर रात इन दोनों के परिवार के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान दिनेश विश्वकर्मा के बड़े बेटे ने कुदाल से उमेश विश्वकर्मा की पत्नी रविता देवी (43) के सिर पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद परिजन आनन–फानन में रविता देवी को देवरिया मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही महुआडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। विवाद के चलते गांव में तनाव को देखते हुए थानाध्यक्ष अमित कुमार राय के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

वहीं, क्षेत्राधिकारी (सीओ) संजय कुमार रेड्डी ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जांच की। घटना के बाद से आरोपी युवक फरार है। पुलिस उसके परिजनों से पूछताछ कर रही है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि आपसी विवाद में दो पक्षों में हाथापाई हो गई थी। इसी हाथापाई के दौरान युवक ने महिला पर वार कर दिया। हालांकि परिजन महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे लेकिन महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। महिला के परिवार और आरोपी के परिवार के बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। उसे पकड़कर जल्द उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

200 से अधिक सरकारी चकमार्ग अतिक्रमण मुक्त अभियान

संवाददाता–गोण्डा। जिले में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के निर्देश पर सरकारी चकमार्गों से अवैध अतिक्रमण हटाने का व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्रवाई के तहत 1 अप्रैल से 16 अप्रैल तक 200 से अधिक सार्वजनिक चकमार्गों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। गोंडा सदर तहसील में 42 स्थानों पर सार्वजनिक चकमार्गों पर अवैध कब्जा था, जिससे लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतें हो रही थीं। एसडीएम सदर अशोक गुप्ता और तहसीलदार मनीष कुमार के नेतृत्व में इन 42 चकमार्गों से अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। तरबगंज तहसील में भी 53 स्थानों से ऐसी शिकायतें मिली थीं, जहां सार्वजनिक

चकमार्गों पर अवैध कब्जा किया गया था। यहां भी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया गया, जिससे लोगों के लिए रास्ता साफ हो गया।करनैलगंज तहसील से सर्वाधिक 65 स्थानों पर अतिक्रमण की शिकायतें सामने आईं। एसडीएम करनैलगंज नेहा मिश्रा ने स्वयं मौके पर पहुंचकर इन सार्वजनिक चकमार्गों को खाली कराया। उन्होंने दोबारा अतिक्रमण करने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। वहीं, मनकापुर तहसील क्षेत्र में सबसे कम 40 स्थानों पर सार्वजनिक चकमार्गों पर अवैध अतिक्रमण की शिकायतें दर्ज की गई थीं। एसडीएम मनकापुर अवनीश त्रिपाठी के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने यहां भी बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी चकमार्गों को खाली कराया। अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि सार्वजनिक चकमार्गों पर अवैध कब्जे की शिकायतें मिलने पर 1 अप्रैल से गोंडा में व्यापक तरीके से अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि वे और मुख्य राजस्व अधिकारी रिंकी जायसवाल इस पर लगातार नजर रख रहे हैं और जिलाधिकारी को रिपोर्ट भी दी जा रही है।

रसोई गैस किल्लतः डीएसओ कार्यालय पर उपभोक्ताओं का प्रदर्शन

संवाददाता–देवरिया। रसोई गैस की किल्लत को लेकर गुरुवार को जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ) कार्यालय पर उपभोक्ताओं ने प्रदर्शन किया। नाराज उपभोक्ता कार्यालय परिसर में फर्श पर बैठ गए और गैस आपूर्ति की मांग करते हुए नारेबाजी की। इससे कुछ देर के लिए अफरा–तफरी का माहौल बन गया।

रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के खुरमा कनौली गांव निवासी नित्यानंद पांडे ने बताया कि उन्हें लंबे समय से गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा था। गुरुवार को वह अन्य उपभोक्ताओं के साथ जिला मुख्यालय स्थित डीएसओ कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से गैस उपलब्ध कराने की मांग की।

उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने गैस जारी करने के लिए शादी का कार्ड दिखाने को कहा, जिससे वे नाराज हो गए। इसके बाद उन्होंने कार्यालय परिसर में ही फर्श पर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन की सूचना पर अन्य लोग और कुछ समाजवादी पार्टी (सपा) कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने उपभोक्ताओं का समर्थन करते हुए अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। लगभग एक घंटे तक चले इस हंगामे से कार्यालय का कामकाज प्रभावित हुआ और भीड़ जमा हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों ने उपभोक्ताओं को समझाने का प्रयास किया। काफी देर तक चली बातचीत के बाद मामला शांत हुआ। उपभोक्ताओं को उनकी मांगों पर आश्वासन मिलने के बाद वे वहां से चले गए। उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में गैस की आपूर्ति नियमित नहीं है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं, अधिकारियों ने बताया कि आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

पुलिस ने सिसवा में चलाया मिशन शक्ति अभियान

संवाददाता–महराजगंज। गुरुवार को कोठीभार पुलिस की मिशन शक्ति और एंटी रोमियो टीम ने सिसवा में जागरूकता अभियान चलाया। मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत यह अभियान सिसवा रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक स्थानों और विभिन्न स्कूलों में आयोजित किया गया। इस दौरान बच्चों और बालिकाओं को सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के बारे में जानकारी दी गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना था। टीम ने इन विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। अभियान के दौरान बालिकाओं और महिलाओं को महिला हेल्पलाइन नंबर 181, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सखी–वन स्टॉप सेंटर, पॉक्सो एक्ट और श्रमिक शक्ति से जुड़ी अन्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। टीम ने बाल विवाह, दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी जागरूकता फैलाई। संबंधित जानकारी वाले पंपलेट भी वितरित किए गए। लोगों को 1090, 1076, 181, 112 और 1930 जैसे महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी जागरूक किया गया। इस जागरूकता अभियान में महिला उपनिरीक्षक लकी पटेल, हेड कॉन्स्टेबल पिंकी सोहनी और महिला कॉन्स्टेबल विंध्यवासिनी शुक्ला ने सक्रिय भूमिका निभाई।

अयोध्या अकैडमी का शत–प्रतिशत रिजल्ट, आदर्श तिवारी 95 प्रतिशत के साथ अव्वल

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

अयोध्या। सीबीएसई बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा में अयोध्या अकैडमी के छात्र–छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का मान बढ़ाया है। इस वर्ष विद्यालय का परीक्षा परिणाम शत–प्रतिशत रहा, जिससे विद्यालय परिसर समेत पूरे क्षेत्र में हर्ष का माहौल है।विद्यालय के छात्र आदर्श तिवारी ने 95 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय में पहला स्थान हासिल किया। शताक्षी दुबे और वंशिका गुप्ता ने 92.2 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। श्रद्धा सिंह ने 92 प्रतिशत, रीत पाण्डेय ने 88 प्रतिशत तथा श्लोक तिवारी ने 87 प्रतिशत अंक अर्जित कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।इसी क्रम में श्रेयांश गुप्ता ने 85.2 प्रतिशत, राघवेन्द्र बढ़ैया ने 84 प्रतिशत, निमय श्रीवास्तव ने 83.8 प्रतिशत, अंशिका तिवारी ने 82.2 प्रतिशत, पलक गुप्ता और जया उपाध्याय ने 81.8–81.8 प्रतिशत, आयुष शुक्ला ने 81.4 प्रतिशत तथा एकता तिवारी ने 80.6 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। अन्य छात्र–छात्राओं ने भी अच्छे अंक हासिल किए। परिणाम घोषित होने के बाद विद्यालय में उत्सव जैसा माहौल रहा। प्रबंधक प्रदीप तिवारी ने मेधावी छात्र–छात्राओं का मात्यार्पण कर स्वागत किया और मिठाई खिलाकर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।प्रधानाचार्या सौम्या आचारी ने सफल छात्र–छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि छात्रों की मेहनत और शिक्षकों के समर्पित मार्गदर्शन का परिणाम है।इस अवसर पर उपप्रधानाचार्य जितेन्द्र कुमार, गौरी द्विवेदी, मृत्युंज मिश्रा, यश वर्मा, संजय कुमार तिवारी, खुशबू पाण्डेय, संदीप यादव, प्रदीप चंद्र, राघवेंद्र सिंह, अभिषेक श्रीवास्तव, अर्जुन गुप्ता, संजय चौहान, मधुसूदन पाण्डेय और सुनीता तिवारी सहित विद्यालय परिवार के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

अज्ञात पिकअप की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत

संवाददाता–देवरिया। जिले के भाटपाररानी थाना क्षेत्र के खरोहवा चौराहा पर गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई।घटना के बाद क्षेत्र में शोक और सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान खुखुन्दू थाना क्षेत्र के ग्राम दोगड़ा निवासी रामप्रवेश प्रसाद (50) पुत्र जियन के रूप में हुई है।रामप्रवेश बुधवार की शाम अपने रिश्तेदार राहुल पुत्र रामआशीष प्रसाद के यहां बरछा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भाटपाररानी थाना क्षेत्र के सुरजीपुर गांव गए थे।गुरुवार सुबह वह घर वापस जाने के लिए बस पकड़ने खरोहवा चौराहा पहुंचे थे। इसी दौरान सड़क पार करते समय एक अज्ञात पिकअप वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रामप्रवेश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच कर रही है।

चोरी की 3 बाइक संग 2 नेपाली युवक गिरफ्तार

संवाददाता–महराजगंज। नौतनवा पुलिस ने गुरुवार को चोरी की तीन बाइक के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बनैलिया मंदिर हरदी डाली मार्ग स्थित डंडा नदी पुल के पास दोपहर करीब 3रू15 बजे घेराबंदी कर दोनों अभियुक्तों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान देवनारायण नाउ (20) निवासी सिद्धार्थ नगर पालिका वार्ड नं. 10 देगहरी, थाना भैरहवा, जिला रुपनदेही (नेपाल) और रामरतन लोनिया (24) निवासी गैडहवा वार्ड नं. 02, थाना पोहवा, जिला रुपनदेही (नेपाल) के रूप में हुई है।

पुलिस ने आरोपियों के पास से तीन चोरी की बाइकें बरामद की हैं। इनमें दो सुपर स्प्लेंडर और एक स्प्लेंडर प्लस बाइक शामिल है। सभी बाइकों पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी, जिससे पहचान छिपाने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस के साथ हुई पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि एक बाइक नौतनवा थाना क्षेत्र के मैक्स सिटी अस्पताल के पास से चोरी की गई थी। इस मामले में पहले ही मुकदमा दर्ज है। दूसरी बाइक फरेन्दा और तीसरी बाइक कोल्हुई थाना क्षेत्र से करीब एक महीने पहले चोरी की गई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया है।

युवक की संदिग्ध मौत

संवाददाता–देवरिया। जिले के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के रामपुर बड़का टोला में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक की पहचान गांव निवासी विकास यादव (28) पुत्र स्वर्गीय छीगूर यादव के रूप में हुई है। घटना की सूचना पर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। परिजनों ने युवक को अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। जानकारी मिली है कि मृतक की पत्नी मनीषा पिछले लगभग तीन वर्षों से अपने मायके, कुशीनगर जिले के हाटा थाना क्षेत्र के मोती पाकड़ गांव में रह रही थी। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, पति–पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। मृतक के बड़े भाई राहुल यादव ने बताया कि परिवार में आपसी तनाव था। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। गांव में इस घटना को लेकर विभिन्न तरह की चर्चाएं हैं। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं पर गौर करते हुए जांच जारी रखे हुए है।

जीवीएम कान्वेंट स्कूल के छात्रों ने लहराया सफलता का परचम

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बुधवार को घोषित हुए सीबीएसई हाईस्कूल परीक्षा परिणाम में जीवीएम कॉन्वेंट स्कूल के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विद्यालय एवं अपने अभिभावकों का नाम रोशन किया है। विद्यालय की छात्रा स्वर्णिमा ने 96 फीसद अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान हासिल किया। इसके अतिरिक्त अन्य मेधावी छात्रों में आदर्श 93, शिवा 93, अल्तमश 92.6, सृष्टि 92, प्रज्ञा 91.6, अल्फिया 89.2, आनंद 89, इशरत 87.8, रानीका 86.6, अबू सुफियान 86.6, शेख रेयान के साथ अन्य छात्रों ने उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया।

शानदार परीक्षा परिणाम से विद्यालय परिसर एवं अभिभावकों में खुशी और उत्साह का माहौल है। मेधावी छात्रों को सम्मानित करने हेतु आज विद्यालय परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती विजयलक्ष्मी सिंह ने छात्रों को माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

छात्रों को सम्बोधित करते हुये प्रधानाचार्या ने कहा कि विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले में विद्यालय का नाम रोशन किया है। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे इस सफलता से संतुष्ट न होकर आगे और अधिक परिश्रम करें तथा जीवन में उच्चतम उपलब्धियां प्राप्त करें।

इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक–शिक्षिकाएं राकेश, राजेश, नमरा, दिवाकर, सुशील, प्रीति, मनीष, अनूप, विनीत, आनंद, अरविंद, सावित्री सहित अनेक अभिभावक उपस्थित रहे

राजन इंटरनेशनल एकेडमी बस्ती में हाईस्कूल के मेधावियों का अभिनंदन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। सीबीएसई हाई स्कूल की परीक्षा में शानदार सफलता अर्जित करने वाले छात्र–छात्राओं के सम्मान में राजन इंटरनेशनल एकेडमी में विशेष अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तीर्ण विद्यार्थियों का बुके भेंटकर भव्य स्वागत किया गया और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए मंगलकामनाएं की गईं।एकेडमी की प्रबंध निदेशिका शिखा चतुर्वेदी ने मेधावियों को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी कड़ी मेहनत, लगन और धैर्य का मीठा फल आज परिणाम के रूप में आपके सामने है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह सफलता केवल एक शुरुआत है, जो आपके सुनहरे भविष्य के अनंत द्वार खोलती है। विद्यार्थियों के इस उत्कृष्ट प्रदर्शन से विद्यालय परिवार में हर्ष की लहर है।एसमारोह में एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. संजिव कुमार पाण्डेय और प्रिंसिपल सानू एंटोनी ने भी सफल छात्र–छात्राओं को हार्दिक बधाई दी। डॉ. पाण्डेय ने छात्रों के अटूट परिश्रम की सराहना करते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना ही एक सच्चे विद्यार्थी की पहचान है। वहीं, प्रिंसिपल सानू एंटोनी ने इस सफलता का श्रेय छात्रों के अनुशासन और शिक्षकों के सटीक मार्गदर्शन को दिया।इस गौरवशाली क्षण पर विद्यालय के समस्त शिक्षक–शिक्षिकाओं ने भी अपने प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। सम्मान पाकर छात्र–छात्राएं प्रफुल्लित नजर आए और उन्होंने अपनी सफलता के लिए विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण एवं अपने गुरुजनों के प्रति आभार व्यक्त किया। यह उपलब्धि न केवल छात्रों के व्यक्तिगत विकास का प्रमाण है, बल्कि राजन इंटरनेशनल एकेडमी की उच्च शिक्षण गुणवत्ता को भी रेखांकित कर रहा है।

उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी के छात्रों ने परीक्षा परिणाम में लहराया परचम

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी में आज कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम सीबीएसई द्वारा घोषित कर दिया गया है। विगत वर्षों की भांति इस उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी के बच्चों ने सफलता का परचम लहराया। विद्यालय की छात्रा नित्या कसौधन 97 फीसद, अर्नव वर्मा 97, जोया हसन 94, नवोदित झा 93.8, इतरत फातिमा 94, दिव्यांश पांडे 94, 93.8, रिद्धि पांडेय 93.4, आभा द्विवेदी 93.4, यशस्वी यादव 93.4, सिद्धेश पांडेय (93.0:), शिवांश मणि (93.0:), श्रेया कसौधन 92.6, जागृति गुप्ता 92.4, प्रतिष्ठा पांडेय (92.0), दिव्यांश मिश्रा (91.8), शिफा खातून शाह (91.6), गरिमा कुमारी 91.6, आकाश मिश्रा 91.6, वैष्णवी पांडेय 91.4,उत्कर्ष (91.0), आंचल (90.6), वैष्णवी त्रिपाठी (90), आर्य चौधरी (90.0), सृष्टि पांडेय (90.0), अंश शुक्ला (90.0) एवं आयुषी उपाध्याय (90.0) , प्रिया मोर्या 90 , अंश शुक्ला 90, सृष्टि पांडेय 90 , दिव्या पांडेय 90, मेहरीन सिद्दीकी 90 अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया।

विद्यालय प्रबंधन ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। साथ ही इस उत्कृष्ट परिणाम का श्रेय विद्यालय के समर्पित शिक्षकों को दिया, जिनके मार्गदर्शन, निरंतर प्रयास एवं परिश्रम ने विद्यार्थियों को सफलता के शिखर तक पहुंचाया। इस अवसर पर प्रबंध निदेशक विनय शुक्ला ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। आप सभी इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें।

प्रधानाध्यापिका ने विद्यार्थियों को आशीर्वचन देते हुए कहा कि

आप सभी अपने जीवन में ऊँचाइयों को प्राप्त करें, अपने माता–पिता और विद्यालय का नाम रोशन करें तथा सदैव सच्चाई और परिश्रम के मार्ग पर अग्रसर रहें।

सुशासन की पहली शर्त होती है सुरक्षा, समय पर पुलिस भर्ती, ट्रेनिंग से बना बेहतर माहौल –सीएम योगी

संवाददाता–गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद पुलिस विभाग में समय पर भर्ती, समय पर ट्रेनिंग और अवस्थापना सुविधाओं के विकास से पुलिसकर्मियों के कार्य की गति बढ़ी है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल बना, और सुशासन का मॉडल खड़ा हुआ।

सीएम योगी गुरुवार सुबह गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बने दो आधुनिक सुरक्षा भवनों के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इन भवनों में मंदिर सुरक्षा से जुड़े अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय, कंट्रोल रूम, पुलिस स्टोर रूम और मेंटिनेंस वर्कशाप बनाए गए हैं। इसके निर्माण पर 9.18 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आई है। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा भवन का लोकार्पण करने के बाद भ्रमण और निरीक्षण कर भवन में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सुरक्षा, सुशासन की पहली शर्त होती है। हर व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए। इसके लिए सरकार के स्तर पर प्रयास किए जाते हैं। पर, हम उसका एक ही पक्ष देख पाते थे। पुलिस का सामान्य सिपाही हो या सब इंस्पेक्टर व डिप्टी एसपी, यदि उसकी ट्रेनिंग नहीं है तो वह भी एक कॉमन मैन (सामान्य व्यक्ति) ही होगा। सीएम योगी ने कहा कि पहले भर्ती, ट्रेनिंग और अवस्थापना सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता था। इसका परिणाम यह होता था कि बहुत से नौजवान पुलिस भर्ती में नहीं आना चाहते थे।

मुख्यमंत्री ने पुलिस महकमे में वर्ष 2017 के बाद आए बदलाव की चर्चा करते हुए कहा कि 9 साल पहले जब उनकी सरकार आई तो उस समय पुलिस बल में आधे से अधिक पद खाली थे। उन्होंने बताया कि बीते 9 वर्ष में 2 लाख 19 हजार से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया गया है। उन्होंने बताया कि 2017 के पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता एक समय मे 3 हजार से अधिक नहीं थी। जबकि वर्तमान में अवस्थापना सुविधाओं के विकास का परिणाम है कि अब एक समय में 60 हजार पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग करवाई जाती है। समय पर लिए गए निर्णय, और समय पर दिए गए संसाधनों के परिणामस्वरूप पुलिस को 200 गुना सुविधाओं से सम्पन्न किया गया है। सीएम योगी ने कहा कि पहले थाना हो, चौकी हो, पुलिस लाइन हो या पीएसी वाहिनी हो, कहीं पर पुलिसकर्मियों के लिए अच्छी आवासीय सुविधा और अच्छे बैरक नहीं थे। पुलिसकर्मी किराए पर रहकर जैसे–तैसे जीवन व्यतीत करता था। कई बार शिकायत आती थी कि पुलिस वाले ने घर पर कब्जा कर लिया है। वह कब्जा नहीं करता था। पता चलता था कि उसके बच्चे की परीक्षा है और मकान मालिक उससे घर खाली करने को कह देता। इस पर वह झल्ला कर कहता, घर नहीं खाली करेंगे। सीएम ने कहा कि यह सामान्य शिकायत आती थी। आज ये सारी शिकायतें समाप्त हो गई हैं क्योंकि सरकार ने हर पुलिस लाइन में आवासीय सुविधा दी है, बैरक बनवाए गए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले थाना का भवन बनता था लेकिन उसमें बैरक नहीं बनते थे। वहां अन्य सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पाती थीं। बहुत बार पुलिस किसी अपराधी को पकड़कर लाती थी तो रुकने की व्यवस्था नहीं होती थी। पुलिस कई बार असहाय दिखती थी। अपराधी भाग जाता था। सीएम ने कहा कि पुलिस को अब असहाय बनने की आवश्यकता नहीं है। अब अपराधी भाग नहीं सकता क्योंकि थाने में ही उसे रोके रखने की सुविधाएं दी गई हैं। उन्होंने कहा कि अब कोई थाने पर हमला नहीं कर सकता क्योंकि अब थाने में पुलिस कार्मिकों के लिए अलग से बेहतरीन सुविधाओं से युक्त बैरक बनाए गए हैं। हर समय, हर थाना में पर्याप्त संख्या में पुलिस कार्मिक उपलब्ध होंगे। जो थाने की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेगा, उसके काम को तमाम करने के लिए पुलिसकर्मी वहां हमेशा मुस्तैद होकर के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता हुआ दिखाई देगा।

इस अवसर पर महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, एमएलसी एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, महेंद्रपाल सिंह, प्रदीप शुक्ल, सरवन निषाद, प्रदेश सरकार के सलाहकार अवनीश अवस्थी, एडीजी गोरखपुर जोन मुथा अशोक जैन, एडीजी सुरक्षा तरुण गाबा, भाजपा के जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर संयोजक राजेश गुप्ता आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

पीस पार्टी अध्यक्ष ने कार्यकर्ता महासम्मेलन, जनगणना में सहभागिता पर दिया जोर

संवाददाता–संतकबीरनगर। सेमरियावां विकास खंड क्षेत्र के बिगरामीर में पीस पार्टी का कार्यकर्ता महासम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और खलीलाबाद सदर के पूर्व विधायक डॉ. मुहम्मद अय्यूब 'सर्जन' ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने संगठन की मजबूती, मतदाता सूची में संशोधन और जनगणना में सक्रिय सहभागिता पर विशेष जोर दिया।

डॉ. अय्यूब ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने संगठन को मजबूत करने और मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए लगातार मेहनत की है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि जिस तरह मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रयास किए गए, उसी प्रकार जनगणना में भी सभी पात्र लोगों के नाम शामिल कराने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और हक पाने के लिए मतदाता सूची और जनगणना दोनों में नाम होना आवश्यक है। डॉ. अय्यूब ने विशेष रूप से कमजोर और पिछड़े वर्गों को जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें।

डॉ. अय्यूब ने कहा कि बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना राजनीति की पहली सीढ़ी है। इसी के माध्यम से समाज की समस्याओं का समाधान संभव है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ कमेटियों के माध्यम से जनता की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया।

उन्होंने विधानसभा और जिला स्तर की कमेटियों को प्रशासन और शासन से संवाद स्थापित कर लोगों की समस्याओं का निराकरण कराने का निर्देश दिया। डॉ. अय्यूब ने चेतावनी दी कि जो समाज राजनीतिक रूप से संगठित नहीं होगा, वह अपने अधिकारों से वंचित रह जाएगा।

सम्मेलन में पार्टी नेताओं ने संगठन विस्तार और आगामी रणनीतियों पर भी चर्चा की। इस दौरान पीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद निषाद, महिला प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती मीनू सिंह, अफरोज बादल, मौलाना तनवीर कासमी, प्रधान अब्दुल हक, हाजी शमसुद्दीन, हाजी मोहम्मद यूनुस, यासिर निजाम, हाजी अब्दुल्लाह, हाफिज निसार, बृजेश निषाद, पंचराम चौहान और मौलाना फजल रहमानी सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

टावर पर चढ़ी युवती, दारोगा से शादी की जिद में 4 घंटे हाईवोल्टेज ड्रामा

संवाददाता–गोरखपुर। गोरखनाथ थानाक्षेत्र में गुरुवार की भोर एक युवती के टेलीफोन टावर पर चढ़ने से हड़कंप मच गया। युवती दारोगा से शादी कराने की मांग पर अड़ी रही और करीब चार घंटे तक टावर पर बैठी रही। मौके पर पहुंची पुलिस और अधिकारियों ने काफी देर तक समझाने–बुझाने के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा। जानकारी के अनुसार गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली सुमन कश्यप बृहस्पतिवार की भोर करीब तीन से चार बजे के बीच टावर पर चढ़ गई और शादी की मांग को लेकर हंगामा करने लगी। सुबह करीब चार बजे ड्यूटी पर मौजूद एक सिपाही की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों को सूचना दी गई और मौके पर अफसर पहुंच गए। युवती का आरोप है कि गोरखपुर में तैनात यातायात पुलिस के दारोगा राहुल द्रविड़ ने उसे शादी का झांसा दिया था, लेकिन बाद में मुकर गया। इस संबंध में युवती ने 21 मई 2025 को गाजीपुर के नंदगंज थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया था। साथ ही उसने धमकी दिए जाने की शिकायत भी की थी। घटना की सूचना पर संबंधित दारोगा को मौके पर बुलाया गया। उसने शादी से साफ इनकार करते हुए बताया कि उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे में उसे उच्च न्यायालय से स्टे मिला हुआ है और युवती उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है।

ग्राम रोजगार सेवकों की कलमबंद हड़ताल

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। प्रांतीय आह्वान पर ग्राम रोजगार सेवकों ने 16 अप्रैल 2026 से 25 अप्रैल 2026 तक कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने बकाया मानदेय के भुगतान की मांग को लेकर खंड विकास अधिकारी चंद्रभूषण त्रिपाठी को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि ग्राम रोजगार सेवकों के बकाया मानदेय के संबंध में 23 मार्च 2026 और 1 अप्रैल 2026 को भी खंड विकास अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे गए थे। हालांकि, इन ज्ञापनों का निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया है। रोजगार सेवकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। यह वर्तमान कलमबंद हड़ताल प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर की जा रही है। शोहरतगढ़ ब्लॉक के समस्त ग्राम रोजगार सेवकों ने खंड विकास अधिकारी चंद्रभूषण त्रिपाठी से अनुरोध किया है कि प्रांतीय नेतृत्व से दिशा–निर्देश मिलने तक उन पर काम करने का कोई दबाव न बनाया जाए। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष विजय दूबे, राजदेव पटवा, राकेश चौधरी, मु. शमीम, अमर सहाय उपाध्याय, लवकुश पाण्डेय, सूर्य प्रकाश सिंह, राजेंद्र शुक्ल, योगेन्द्र कुमार, संतोष, संजू प्रसाद, संजय कुमार, सुनील कुमार, अनीता चौहान, मीरा देवी, चंद्रावती सहित कई अन्य ग्राम रोजगार सेवक मौजूद रहे।

महिला को सीएम योगी ने दिया भरोसा, कहा – आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे, विवेकाधीन कोष से भी होगी मदद

संवाददाता–गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान गुरुवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान श्रावस्ती से आई एक महिला ने गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चे के इलाज में मदद का अनुरोध किया। साथ में आए बच्चे को देखकर मुख्यमंत्री भावुक हो गए। उन्होंने महिला से आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा। महिला की तरफ से 'नहीं बना है', जवाब मिलने पर मुख्यमंत्री ने कहा– घबराइए मत, बच्चे के इलाज में कोई भी बाधा नहीं आने देंगे। आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे और विवेकाधीन कोष से भी बच्चे के इलाज में आर्थिक सहायता देंगे। महिला का प्रार्थना पत्र लेकर उन्होंने मौके पर मौजूद अफसरों को इस निर्देश के साथ थमाया कि इसे श्रावस्ती के जिलाधिकारी को भेजकर आयुष्मान कार्ड बनवाया जाए। साथ ही डीएम के जरिये इलाज का इस्टीमेट भी शासन को उपलब्ध कराया जाए। गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी करीब 200 लोगों से मिले। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने लगी कुर्सियों पर बैठाए गए लोगो तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और एक–एक कर उनकी समस्याओं को सुना। इत्मीनान से बात सुनते हुए उनके प्रार्थना पत्र लिए। पास में खड़े अधिकारियों को समस्या समाधान हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दिए। अलग–अलग मामलों से जुड़े समस्याओं के निस्तारण के लिए उन्होंने संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित कर निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और संतोषप्रद होना चाहिए। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनता की समस्याओं पर त्वरित संवेदनशीलता दिखाएं। उन्होंने उनसे मिलने आए लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा, घबराइए मत। सरकार हर समस्या पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराएगी। अपराध व जमीन कब्जा किए जाने से संबंधी शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों व भू माफिया के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जनता दर्शन में कुछ महिलाएं अपने बच्चों को लेकर आई थीं। मुख्यमंत्री ने इन बच्चों को खूब दुलारा और चॉकलेट के साथ आशीर्वाद दिया।

अदालती नोटिस

(हेतु सन्दर्शित करने की सूचना साधारण प्रारूप)
(आर्डर 5 कायदा 3)
न्यायालय–श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय भानपुर जिला–बस्ती
मूलवाद सं0 /2026
धारा 116 उ0प्र0रा0सं0–2006
महीबुन निशा
बनाम
अली इमाम आदि

1. अली इमाम पुत्र आले हसन साकिन नौवागांव तप्पा छपिया परगना रसूलपुर तहसील भानपुर जिला बस्ती 2. कैसर अब्बास 3. खुरदेस अब्बास 4. हसन अब्बास पुत्रगण हसन रजा 5. खेसाल अब्बास 6. निहाल अब्बास 7. हसन अब्बास पुत्रगण मोल्हू हसन 8. श्रीमती सइदून्निशा पत्नी मोल्हू हसन साकिन नौवागांव तप्पा छपिया परगना रसूलपुर तहसील भानपुर जिला बस्ती

तारीख पेशी 21–04–2026

चूंकि उपरीनामांकित ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि अतएवं आपके एतद द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप इसे आदेश के खिलाफ हेतु सन्दर्भित करने के लिये 2026 के माह 04 के 21 दिवस को 10.00 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या सम्पर्क रूपेण अनुर्दिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो और ऐसा न करने पर उक्त आवेदन एक पक्षीय रूप से सुना जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज सन 2026 के माह 04 के 16 दिवस को निकाली गयी।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0–
कं0 वाद सं0 T202517650220202
धारा 116 उ0प्र0रा0सं0–2006
अदालत– श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय खलीलाबाद संतकबीरनगर
मुवारक हुसेन आदि
बनाम
कैशर हुसेन आदि

ग्राम दुधारा
1. कैशर हुसेन आयु लगभग 75 वर्ष पुत्र आशिक अली 2. लतीफुन्निशा आयु 65 वर्ष पत्नी सेराज हुसेन 3. नाजिया खातून आयु 35 वर्ष पुत्री सेराज हुसेन 4. मेराज हुसेन पुत्र सेराज हुसेन 5. एहतसाम हुसेन आयु 70 वर्ष 6. तसव्वुर हुसेन आयु 65 वर्ष 7. मुक्तेदा हुसेन आयु 60 वर्ष पुत्रगण वजाहत हुसेन 8. नायरा हुसेन आयु 55 वर्ष पुत्री वजाहत हुसेन निवासीगण ग्राम दुधारा तप्पा उजियार परगना मगहर पूरव तहसील खलीलाबाद जिला संतकबीरनगर 9. महबूब अहमद वालिग पुत्र मसूद अहमद साकिन मदारपुर तप्पा उजियार परगना मगहर पूरव तहसील खलीलाबाद जिला संतकबीरनगर
–प्रतिवादीगण प्रथम वर्ग
10. इल्तजा हुसेन उम्र लगभग 50 वर्ष 11. अफसर यू0 अहमद आयु लगभग 32 वर्ष पुत्रगण नजाकत हुसेन 12. जैदुन्निशा उम्र लगभग 75 साल पत्नी नजांकत हुसेन निवासीगण ग्राम दुधारा तप्पा उजियार परगना मगहर पूरव तहसील खलीलाबाद जिला संतकबीरनगर
–प्रतिवादीगण द्वितीय वर्ग
13. ग्राम पंचायत दुधारा जरिए ग्राम प्रधान ग्राम दुधारा तप्पा उजियार परगना मगहर पूरव तहसील खलीलाबाद जिला संतकबीरनगर
–प्रतिवादी तृतीय वर्ग

तारीख पेशी 22–04–2026

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 22 माह 04 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा। बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 15 माह 04 सन 2026 ई0 जारी किया गया। द0 हाकिम

सुरक्षित भंडारण से 10 फीसदी तक फसल क्षति रोकी रोके

संवाददाता–गोरखपुर। जिला कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालय ने किसानों को अन्न के सुरक्षित भंडारण को लेकर एडवाइजरी जारी की है। विभाग के अनुसार, उचित भंडारण तकनीकों को अपना कर फसल कटाई के बाद होने वाली लगभग 10 प्रतिशत क्षति को रोका जा सकता है। किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकता है। 50 फीसदी अनुदान पर (अधिकतम 2000 रुपये) बखारी की सुविधा भी दी जा रही है।इन दिनों गेहूं की फसल की कटाई चल रही है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉ आर डी वर्मा के मुताबिक खेती में बुवाई, जुताई, पोषण और कीट प्रबंधन के साथ–साथ कटाई के बाद भंडारण भी अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है।

असुरक्षित भंडारण के कारण कीट, कृतंक और सूक्ष्मजीवों के चलते अनाज की गुणवत्ता और मात्रा दोनों प्रभावित होती हैं। भंडारण में कीट प्रकोप के प्रमुख कारणों में अधिक नमी, ऑक्सीजन की उपलब्धता और अनुकूल तापमान शामिल हैं। यदि अनाज में नमी 10 प्रतिशत से अधिक रहती है तो कीटों और फफूंद का तेजी से विकास होता है, जिससे अनाज स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है।वहीं, 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान कीटों की वृद्धि के लिए उपयुक्त माना जाता है। उन्होंने बताया कि कीट खेत, मड़ाई स्थल, परिवहन साधनों और पुराने भंडारण कक्षों के माध्यम से भी अनाज तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में भंडारण से पहले गोदाम या बखारी की अच्छी तरह सफाई और मरम्मत जरूरी है। दरारों और बिलों को बंद कर नमी और चूहों के प्रवेश को रोका जाना चाहिए।पुराने बोरे और भंडार गृह का करें उपचारएडवाइजरी में मैलाथियान 50 फीसदी ईसी के घोल से भंडारण गृह में छिड़काव, पुराने बोरों को धूप में सुखाने या रसायन से उपचारित करने तथा अनाज को अच्छी तरह सुखाकर ही भंडारण करने की सलाह दी गई है। गोदाम में भंडारण के दौरान फर्श पर सूखे भूसे की तह बिछाने और बोरियों को दीवार से दूरी पर रखने को भी जरूरी बताया गया है। कीट नियंत्रण के लिए एल्युमिनियम फास्फाइड का उपयोग निर्धारित मात्रा में करने तथा भंडारण कक्ष को वायुरोधी बनाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा नीम की सूखी पत्तियों या निमोली पाउडर के उपयोग को भी प्रभावी उपाय बताया गया है। उन्होंने किसानों को चेताया है कि रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करें। साथ ही विभाग द्वारा बखारी पर 50 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम 2000 रुपये) की सुविधा भी दी जा रही है।सहायता के लिए यहां करें कॉलकिसान किसी भी फसल में कीट या रोग की समस्या होने पर सहभागी फसल निगरानी एवं निदान प्रणाली के हेल्पलाइन नंबर 9452247111 और 9452257111 पर संपर्क कर विशेषज्ञ सलाह प्राप्त कर सकते हैं।

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश
(आर्डर 9 कायदा 9) (2)
अदालत–श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
प्रकीर्णवाद सं0– 136/2025
श्रीमती संजीदा खातून
बनाम
श्रीमती सबरून्निशा आदि

1. श्रीमती सबरून्निशा पत्नी सेराजुलहक ग्राम जयविजय तप्पा कोरऊँ परगना महुली पश्चिम तहसील वो जिला–बस्ती हाल मुकाम भारतीय स्टेट बैंक गांधीनगर बस्ती के पीछे लाडली मन्जिल मोहल्ला दरियाखां पोस्ट गांधीनगर तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला बस्ती 2. श्रीमती अलीमुन्निशा पत्नी जब्बार अली ग्राम जयविजय तप्पा कोरऊँ परगना महुली पश्चिम तहसील वो जिला–बस्ती

तारीख पेशी 06–05–2026

हरगाह मुद्दई मजकुरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।

लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 06 माह 05 सन 2026 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुर्दा की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश
(आर्डर 9 कायदा 9) (2)
अदालत–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
प्रकीर्णवाद सं0– 347/2023
अच्छन अली
बनाम
नबी मोहम्मद

1. नूर मोहम्मद 2. सद्दाम हुसेन पुत्रगण दोस्त मोहम्मद निवासी ग्राम बैरागल तप्पा ऊँजी परगना नगर पश्चिम तहसील हरैंया जिला बस्ती

तारीख पेशी 05–05–2026

हरगाह मुद्दई मजकुरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।

लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 05 माह 05 सन 2026 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुर्दा की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0–918/1348/2024
धारा 34 उ0प्र0रा0सं0–2006
अदालत– श्रीमान तहसीदार हरैंया जिला बस्ती
अमजद अली शेख
बनाम
एजाज अहमद आदि

साकिन पुरैना खास तप्पा पुरैना परगना अमोढ़ा तहसील हरैंया जिला बस्ती 1. मुर्तुजा हुसेन 2. कयामुद्दीन पुत्रगण वफाती 3. गुलाम हुसेन पुत्र वाहिद अली साकिन पुरैना खास तप्पा पुरैना परगना अमोढ़ा तहसील हरैंया जिला बस्ती

तारीख पेशी 23–04–2026

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 23 माह 04 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 16 माह 04 सन 2026 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील
सिविल निगरानी सं0–62/2025
अदालत– श्रीमान जिला जज महोदय बस्ती जिला–बस्ती
प्रभावती
बनाम
स्वामीनाथ आदि

1. स्वामीनाथ उम्र 70 साल पुत्र राम सुन्दर 2. पतिराम उम्र 50 साल 3. बलवन्त उम्र 42 साल 4. राम गोपाल उम्र 39 साल पुत्रगण स्वामीनाथ 5/1 सुखपत्ता उम्र 70 साल पत्नी मोती 6. हरीराम उम्र 35 साल 7. बुधिराम उम्र 30 साल पुत्रगण मोती साकिनान मौजा जगन्नाथपुर तप्पा पुरैना परगना अमोढ़ा तहसील हरैंया जिला बस्ती
–रेस्पान्डेन्टियान

तारीख पेशी 14–05–2026

अपील बनराजी के अदालत मुकाम बस्ती
मयरिखा महीना सन् 20 ई0 रेस्पान्डेन्ट

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 14 महीना 05 सन 2026 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है। अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी। आज बतारीख माह सन 20 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय– श्रीमान बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी बस्ती जिला–बस्ती
कायमी सं0– /2026
विजय बहादुर आदि
बनाम
अरूण कुमार आदि

1. अरूण कुमार 2. विजय कुमार पुत्रगण सूर्यमणि ग्राम गौरा तप्पा गनेशपुर तह0 वो जिला बस्ती

तारीख पेशी 20–04–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 20 माह 04 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

दैनिक भारतीय बस्ती
संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय– चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय– आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय– इलाहीबाग गोरखपुर।
मो0 9336715406, 8400925463
ई.मेल bhartiyabasti@gmail.com dainikbhartiyabasti@gmail.com